न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और संत प्रकाश **के समक्ष**

ओम प्रकाश और अन्य- *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरवादी*

2009 का CWP नंबर 13496

27 जुलाई, 2020

क. पंजाब पुलिस नियम, 1934 - नियम 13.14 (2) (हरियाणा राज्य के लिए यथा लागू) - पुलिस निरीक्षक का पदोन्नति पद - निरीक्षक के पद पर सभी पदोन्नति नियम 13.14 (2) के तहत प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर की जानी चाहिए - राज्य द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी जब 1986 में चयन ग्रेड समाप्त कर दिया गया था या जब वर्ष 2001 में नियम 12.3 में संशोधन किया गया था। जहां तक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का संबंध है, ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्रावधान नहीं है जो शून्य को भर सके - दो सांविधिक उपबंध अर्थात नियम 13.5(4) और 13.15 को भी लागू किया जाएगा - जिसके परिणामस्वरूप किसी भी उप-निरीक्षक को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

अभिनिर्धारित किया कि, नियम 13.14 (2) में निर्धारित पात्रता मानदंड सीधी भर्ती या उप निरीक्षक को पदोन्नत करने के बीच अंतर नहीं करता है। कोई भी उप निरीक्षक, जिसके पास अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन आठ वर्ष का अनुभव है, को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ वर्ष का अनुभव प्रदान करने का औचित्य भी हमारे समक्ष स्थापित किया गया है।

(पैरा 39)

ख. भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 16- पंजाब पुलिस नियम, 1934, नियम 13.14 (2) (हरियाणा राज्य पर लागू) पुलिस निरीक्षक का पदोन्नति पद - नियम में निर्धारित पात्रता मानदंड सीधी भर्ती या पदोन्नत उप निरीक्षक के बीच अंतर नहीं करता है कोई भी उप निरीक्षक, जिसके पास अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन आठ वर्ष का अनुभव है, को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। जिसमें से पांच साल उप निरीक्षक के रूप में होना चाहिए - यह अनिवार्य नहीं है कि ऊपरी अधीनस्थ के रूप में शेष 3 वर्ष की सेवा केवल पिछले रैंकों में होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उप निरीक्षक के पद पर प्राप्त अनुभव निरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के लिए समान रूप से मान्य है, नियम 13.1 में प्रावधान है कि एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ग्रेड से दूसरे रैंक में एक ही रैंक में पदोन्नति चयन द्वारा की जाएगी। वरिष्ठता और दक्षता और ईमानदारी से

छेड़छाड़ चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे - भर्ती के स्रोत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है इसलिए, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए नियम 13.14 (2) में निर्धारित पात्रता मानदंड भेदभावपूर्ण है या समान अवसर की कमी से इनकार करता है - याचिका खारिज कर दी गई।

ठहराया गया कि हम आश्वस्त हैं कि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए नियम 13.14 (2) में निर्धारित पात्रता मानदंड अनुच्छेद 14 के संदर्भ में भेदभावपूर्ण नहीं है या अनुच्छेद 16 के संदर्भ में समान अवसर की कमी से इनकार करता है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा संख्या 2 भी तय किया जाता है।

(पैरा 39)

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायतार्थ
अर्जुन, प्रताप आत्मा राम और
भगोती सिंह, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता नंबर 1 से 3 के *वकील*

पुनीत बाली, एडवोकेट, सहायतार्थ
विभव जैन &
मृगांकी नागपाल,

*हस्तक्षेपकर्ताओं/**याचिकाकर्ता संख्या** 40 के* वकील

[2016 के CM नंबर 6565 ने 13.09.2019 के आदेश के माध्यम से आवेदकों को हस्तक्षेपकर्ता के रूप में न्यायालय की सहायता करने की अनुमति दी]

श्रुति जैन गोयल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा आधिकारिक प्रतिवादी संख्या 1 से 3/राज्य के लिए।

गुरमिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायतार्थ
विवेक शर्मा &
रोहन मारकंडा,

निजी प्रतिवादी संख्या 33 से 35 के लिए वकील।

[2019 का CM नंबर 13290 जैसा कि उत्तरदाताओं ने 13.09.2019 के आदेश के तहत अनुमति दी थी]

विकास बहल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायतार्थ
निखिल सभरवाल और

आकृति राज,

निजी प्रतिवादी नंबर 36 से 42 के लिए वकील।

[27.09.2019 के आदेश के तहत प्रतिवादियों के रूप में अनुमति के लिए 2019 का CM नंबर 14235]

अनुपम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायतार्थ प्रोमिला नैन और हरवीन मेहता,

निजी प्रतिवादी नंबर 43-रजत गुलिया के वकील

[2019 के CM नंबर 16740 को प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई है]

जसवंत सिंह, जे।

2019 के CM नंबर 3250-51 और 2019 के सीएम नंबर 8833:

याचिकाकर्ताओं द्वारा 20.02.2019 (अनुबंध पी-20) के पत्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 2019 का सीएम नंबर 3250-51 दायर किया गया था , जिसके तहत निजी प्रतिवादी नंबर 4 से 32 के मामलों को इंस्पेक्टर के पद से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति देने और उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था।

2019 का सीएम नंबर 8833 याचिकाकर्ताओं द्वारा सीपीसी की धारा 151 के तहत उचित निर्देश जारी करने के लिए दायर किया गया था। यह प्रार्थना की गई थी कि प्रतिवादी-राज्य को दिनांक 27.05.2019 के पत्र **(अनुबंध पी -21)** को आगे बढ़ाने से रोका जाए, जिसके माध्यम से एक या अधिक उत्तरदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र और चरित्र रोल मांगे गए थे।

<u>2019 के सीएम नंबर 16332 और 2019 के सीएम नंबर 17360:</u>

प्रतिवादी-राज्य द्वारा दिनांक 13.09.2019 के आदेश को वापस लेने/संशोधित करने के लिए 2019 का सीएम नंबर 16332 दायर किया गया था, जिसके तहत पुलिस उपाधीक्षक की पदोन्नति के लिए विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

प्रतिवादी-राज्य द्वारा 2019 के सीएम नंबर 17360 के साथ एक और सिविल विविध आवेदन दायर किया गया था ताकि आवेदकों/प्रतिवादियों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र निरीक्षकों के विचार के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की अनुमति मिल सके।

<u>2019 के सीएम नंबर 18245 और 2020 के सीएम नंबर 324:</u>

प्रतिवादी संख्या 33 से 35 ने 2019 का सीएम नंबर 18245 दायर किया है, जिसमें प्रतिवादी-राज्य द्वारा विज्ञापित पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक/स्थगित करने या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी-राज्य को आवेदकों/प्रतिवादी संख्या 33 से 35 के लिए सभी

इरादों और उद्देश्यों के लिए पद के साथ-साथ वरिष्ठता को आरक्षित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिनके नाम अनुलग्नक-पी -21 में उल्लिखित हैं।

उन्होंने 20.12.2019 (अनुलग्नक ए-1) के आदेश पर रोक/स्थगन के लिए प्रार्थना करते हुए 2020 का सीएम नंबर 324 भी दायर किया है, जिसके तहत पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे 28.02.2019 की अधिसूचना/नीति के अनुसार वीरता आदि के आधार पर समय से पहले पदोन्नति के लिए निरीक्षकों के नाम दो सप्ताह के भीतर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भेजें।

2020 का सीएम नंबर 2406

प्रतिवादी राज्य की ओर से हरियाणा के ए.आई.जी. प्रशासन श्री विनोद कुमार द्वारा दायर हलफनामे के लिए याचिकाकर्ता संख्या 1-श्री ओम प्रकाश के जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया था। इसकी **अनुमति दी** और जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

इसे उचित स्थान पर रखने के लिए रजिस्ट्री करें और पेपर-बुक को पृष्ठ चिह्नित करें।

मुख्य मामला

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 27.11.2008 (अनुलग्नक पी-8), दिनांक 18.05.2008 **के आदेश (अनुलग्नक पी-9)** और 13.08.2009 के आदेश **(अनुलग्नक पी-10**) को रद्द करने की मांग कर रहे हैं**, जिसके तहत निजी प्रतिवादियों को पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है।** जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षकों के रूप में पुष्टि की गई है।

याचिकाकर्ता पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.8 और 13.18 की शर्तों का भी विरोध कर रहे हैं, जो हरियाणा राज्य (संक्षेप में 'नियमों' के लिए) पर लागू होते हैं, जो पुलिस उप निरीक्षकों के पद पर नियुक्त सीधी भर्ती और पदोन्नति की पारस्परिक वरिष्ठता को नियंत्रित करते हैं और पुलिस निरीक्षक के पद पर उनकी आगे पदोन्नति करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे अपने कनिष्ठ निजी उत्तरदाताओं को पदोन्नत करने की तारीख से उन्हें निरीक्षकों के रूप में विचार करें और पदोन्नत करें।

(2) तत्काल रिट याचिका दायर किए जाने के बाद से, जब भी पात्र निरीक्षकों के मामलों को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति के लिए बुलाया गया था, याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न सिविल विविध आवेदन दायर किए गए थे। उक्त आवेदनों का निपटान इस निर्देश के साथ किया गया था कि ये सभी पदोन्नतियां रिट याचिका के परिणाम

के अधीन रहेंगी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2019 के एक अन्य सिविल विविध आवेदन, सीएम नंबर 8833 पर, इस न्यायालय ने 13.09.2019 के एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-राज्य को सूची की अगली तारीख तक पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय कार्यवाही करने से रोक दिया। स्थगन आदेश को बाद के आदेशों द्वारा मामले के अंतिम निर्णय तक जारी रखा गया था। परिणामी स्थिति यह है कि तब से किसी भी निरीक्षक को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।

(3) रिकॉर्ड से उभरने वाले और वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती कर रहे हैं जबकि प्रतिवादी
नंबर 4 से 32 को सहायक के पद से उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। हरियाणा राज्य में वर्ष 2001 से पहले पुलिस उपनिरीक्षक के 100% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे, तथापि दिनांक 24-12-2001 की अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया और नियम 123 को प्रतिस्थापित करके उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा शुरू किया जो नीचे निकाला गया है

12.3**, निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की सीधी नियुक्ति-**

नियम 12.1 और 12.4 में किए गए प्रावधान को छोड़कर, पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के रैंक को छोड़कर सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर इस तरह की नियुक्ति क्रमशः अधिकतम दस प्रतिशत और पचास प्रतिशत पदों तक की जा सकती है।

(4) संशोधित नियम 12.3 के अनुसार हरियाणा पुलिस में 100 उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए पहला अधियाचन 25.03.2002 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था, जिसे आयोग द्वारा दिनांक 18.04.2002 के विज्ञापन संख्या 01/2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। 100 उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती से संबंधित मामले की प्रतिवादी विभाग द्वारा 2002 के सीडब्ल्यूपी संख्या 11046 में इस न्यायालय द्वारा पारित 24.09.2002 के फैसले के मद्देनजर पुन: जांच की गई थी, जिसका शीर्षक राजिंदर सिंह ***बनाम*** हरियाणा राज्य ***और 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11046 में दिनांक 14.02.2003*** का निर्णय था। चूंकि, दिनांक 24-09-2002 के निर्णय में केवल 33 रिक्तियों का उल्लेख किया गया था, इसलिए दिनांक 21-02-2003 के ज्ञापन के माध्यम से आयोग से 100 पदों के स्थान पर केवल 17 पदों के लिए सिफारिश करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा कुछ और पदों का सृजन किया गया और आयोग को 100 पदों का नया अधियाचन भेजा गया।

उपर्युक्त दो विज्ञापनों के माध्यम से विज्ञापित पदों की तुलना में आयोग से क्रमश 26-05-2003 और 12-09-2003 को 17 और 100 अभ्यथयों के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई थीं।

(5) सभी तीन याचिकाकर्ताओं को दिनांक 26-05-2003 की सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 ने 26.05.2003 को कार्यभार संभाला और याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 27.05.2003 को उप निरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 32 को जून 2003 से मार्च 2004 तक सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया था यानी याचिकाकर्ताओं की सीधी भर्ती के बाद, जिसने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं से जूनियर बना दिया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि उन्हें निजी प्रतिवादियों से पहले उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवा की अवधि के आधार पर उनसे वरिष्ठ हैं, फिर भी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करते समय उनकी अनदेखी की गई है, जबकि निजी उत्तरदाता जो उनसे जूनियर हैं (याचिकाकर्ता), को पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है।

(6) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 12.2 (3) जो पुष्टि की तारीख से वरिष्ठता के निर्धारण का प्रावधान करता है, कानून के विपरीत है। इसके अलावा, पुष्टि करण के नियम अर्थात नियम 12.8 और 13.18 सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग-अलग हैं क्योंकि वे सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अलग-अलग अवधि प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोनों नियमों में से कोई भी परिवीक्षा की समाप्ति पर स्वचालित पुष्टि का प्रावधान नहीं करता है, इस प्रकार दोनों नियम खुले हैं और पुष्टि में मनमानी के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी हैं। अपनी इस दलील के समर्थन में कि वरिष्ठता जैसे मूल्यवान अधिकार को पुष्टि की घटनाओं की अनियमितताओं पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, उन्होंने ***एसबी पटवर्धन*** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1], **द्वितीय श्रेणी इंजीनियरिंग सेवा संघ** ***बनाम महाराष्ट्र राज्य***[2]***, ओपी गर्ग बनाम*** **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के ***मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।***

(7) श्री आत्मा राम द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि सभी उप निरीक्षक एक वर्ग का गठन करते हैं और उप निरीक्षकों के एक ही वर्ग में अर्थात किसी भी उद्देश्य के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, नियम 12.8 और 13.18 परिवीक्षा की अलग-अलग अवधि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, खासकर जब वरिष्ठता कैडर में जारी रहती है। ***मर्विन कॉन्टिन्हो*** बनाम **सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे**[4]***, रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ***[5]***,*** **एसएम पंडित** ***बनाम गुजरात राज्य***[6]***,*** **जम्मू और कश्मीर राज्य** ***बनाम*** **त्रिलोकी नाथ खोसा**[7] ***के फैसले का संदर्भ दिया गया है।*** **उनका** तीसरा तर्क यह है कि किसी भी मामले में, एक बार पुष्टि का आदेश पारित होने के बाद,

[1]AIR 1977 SCC 2051
[2] AIR 1990 SCC 1607
[3]1991 (2) SCT 507
[4] AIR 1967 SC 52
[5] AIR 1967 SC 1889
[6] AIR 1972 SC 252
[7] AIR SC 1

इसे नियुक्ति की तारीख से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की पुष्टि को उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

(8) याचिकाकर्ता सुश्री श्रुति जैन गोयल की दलीलों के जवाब में, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान डीएजी ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पुष्टि की तारीख से अंतिम वरिष्ठता का निर्धारण प्रदान करने और सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अलग-अलग अवधि प्रदान करने के लिए एक तर्क और पूर्ण औचित्य है, जैसा कि लिखित बयान में विस्तार से बताया गया है। इस मामले में, इस मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होगा। यह परिवीक्षा और पुष्टि या वरिष्ठता के नियम के संचालन के कारण नहीं था कि याचिकाकर्ताओं को निजी उत्तरदाताओं के साथ निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, बल्कि यह नियम 13.14 (2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण था कि वे निरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में नहीं आते थे।

(9) उन्होंने आगे कहा कि नियम 13.14 (2) के प्रावधान के अनुसार, उप निरीक्षक के पद से निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ साल की न्यूनतम सेवा आवश्यक है, जिसमें उप निरीक्षक के रूप में पांच साल शामिल हैं। चूंकि याचिकाकर्ताओं को मई 2003 में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने वर्ष 2009 में ऊपरी अधीनस्थ के रूप में 8 साल पूरे नहीं किए और इस प्रकार वे निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 32 को वर्ष 2003-2004 में सहायक उप निरीक्षक के पद से उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और उपनिरीक्षक के पद पर 2009 में पांच साल पूरा करने सहित आठ साल के अनुभव के आधार निरक्षक के पद पदोन्नत किया गया था।

(10) आधिकारिक प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के दिनांक 16.01.2020 के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 06.02.2020 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि नियमों के नियम 12.3 में किए गए संशोधन के संदर्भ में

24-12-2001 को याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2003 में की गई चयन प्रक्रिया में उप निरीक्षकों के रूप में सीधे भर्ती किया गया था। हलफनामे के पैरा 11 को पुन: प्रस्तुत करना लाभदायक होगा, जो नीचे दिया गया है:

> "11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2003 के बाद से सीधे भर्ती किए गए उप निरीक्षकों की निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की गई है और केवल पदोन्नति कोटा के लिए निर्धारित रिक्तियों के खिलाफ की गई है। याचिकाकर्ताओं की निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का विवरण निम्नानुसार है: -

संख्या	श्रेणी नाम और संख्या	डी.ओ.बी	कोटि	डी. ई. एसआई के रूप में	डी.ओ.सी. एसआई के रूप में	डी.ओ.पी. सूची 'F'	डी.ओ.पी. जो की निरक्षक
1	पी/एसआई ओम प्रकाश	31.05.76	GC	26.05.03	31.08.07	27.05.11	27.05.11
2	पी/एसआई सुदीप	29.09.79	GC	27.05.03	31.08.07	27.05.11	27.05.11
3	P/SI सुरेश कुमार	04.12.79	बीसीबी	26.05.03	31.08.06	27.05.11	27.05.11

यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादियों के संबंध में निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति भी पंजाब पुलिस नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार और केवल पदोन्नति कोटा पदों के खिलाफ की गई थी। तत्संबंधी ब्योरा निम्नानुसार है-

संख्या	श्रेणी नाम और संख्या	डी.ओ.बी.	डी.ओ.ई.	श्रेणी	डी.ओ.पी. एसआई के रूप में	डी.ओ.सी. एसआई के रूप में	डी.ओ.पी. सूची 'F'	डी.ओ.पी.ए.
1	निरक्षक जगत टी सिंह संख्या 2/एचएपी	20.07.53	01.05.75	GC	01.06.03	31.08.08	25.11.08	27.11.08
2	निरक्षक सतेंद्र सिंह संख्या 33/एचएपी	02.01.61	06.11.79	BC	01.06.03	31.08.08	25.11.08	27.11.08

3	निरक्षक हरदेव सिंह संख्या 6/एचएपी	10.03.5 6	10.07.75	SC	01.06.03	31.08.08	25.11.08	27.11.08
4	निरक्षक राम दीया संख्या 11/एचए P	11.12.5 2	31.01. 77	GC	01.06.03	31.08.08	25.11.0 8	27.11.08
5	निरक्षक मनबीर सिंह संख्या 51/एचए पी	06.07.5 8	30.12. 76	SC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
6	निरक्षक ईशा ईशम सिंह संख्या 73/एचएपी	30.03.5 6	29.04. 75	GC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
7	निरक्षक लेख राम संख्या 76/एचए पी	05.03.5 6	31.01. 81	BC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
8	निरक्षक जयबीर सिंह संख्या 79/एचए पी	07.01.6 0	16.05. 75	GC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08

9	निरक्षक सुरेश कुमार संख्या 85/एचएपी	13.01.5 6	17.10. 79	GC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
10	निरक्षक सत नारायण संख्या 86/एचए पी	10.05.5 8	18.10. 78	GC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
11	निरक्षक धर्मपाल संख्या 87/एचए पी	05.02.5 2	04.03. 77	GC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
12	निरक्षक राम स्वरूप सं. 95/एचए पी	02.12.5 5	31.03. 77	SC	01.06.03	31.01.09	25.11.0 8	27.11.08
13	निरक्षक महाबीर सिंह संख्या 46/एचए पी	15.04.5 3	18.03. 77	BC	25.08.03	31.01.10	02.03.0 9	02.03.09

14	निरक्षक धरम वीर सिंह	15.04.5 2	25.09.73	GC	15.02.0 4	31.08.09	06.08.09	06.08.09

	संख्या 335/H							
15	निरक्षक उदमी राम संख्या 178/H	15.06.59	11.05.78	ईसा पूर्व	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
16	निरक्षक राज सिंह संख्या 46/एचएपी	08.06.54	19.07.72	GC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
17	निरक्षक अमी लाल संख्या 47/	15.06.54	26.11.74	GC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
18	निरक्षक वीरेंद्र सिंह संख्या 71/H	02.01.56	20.03.75	GC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
19	निरक्षक मदन लाल संख्या 190/H	05.05.57	02.02.76	SC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
20	निरक्षक जय नारायण संख्या 188/H	10.05.53	28.06.76	SC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
21	निरक्षक महा सिंह संख्या 193/H	29.12.55	23.10.75	SC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09

22	निरक्षक बलवंत सिंह संख्या 78/एचएपी	01.07.65	16.05.95	GC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
23	निरक्षक विनोद कुमार संख्या 207/H	30.09.61	10.02.95	GC	15.02.04	31.08.09	06.08.09	06.08.09
24	निरक्षक महेंद सिंह संख्या 272/H	01.05.62	15.02.95	GC	15.02.04	31.01.10	06.08.09	06.08.09
25	निरक्षक वीरेंद्र सिंह संख्या 159/H	15.08.66	11.02.95	GC	15.02.04	31.01.10	06.08.09	06.08.09
26	निरक्षक रवींद्र कुमार संख्या 50/H	20.01.64	08.02.95	GC	15.02.04	31.01.10	06.08.09	06.08.09
27	निरक्षक राम सिंह संख्या 103/H (130/घंटा)	05.10.64	07.02.95	GC	15.02.04	31.01.10	06.08.09	06.08.09
28	निरक्षक रतन सिंह संख्या 28/H	04.04.55	31.03.77	BC	15.02.04	--	06.08.09	06.08.09

29	निरक्षक राम कुमार संख्या 90/RR	12.02.53	16.10.73	GC	05.03.04	31.08.06	06.08.09	06.08.09

(11) उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षा और पुष्टि या वरिष्ठता के नियम से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहसे ग्रस्त नहीं थे, बल्कि याचिकाकर्ता 1 और 2 को 31.08.2007 को उप निरीक्षक के पद पर पुष्टि की गई थी और याचिकाकर्ता संख्या 3 को 31.08.2006 को उप निरीक्षक के रूप में पुष्टि की गई थी, यानी प्रतिवादी संख्या 4-32 से पहले, जिन्हें 31.08.2006 से 31.01.2010 तक विभिन्न तिथियों पर उप निरीक्षक के रूप में पुष्टि की गई थी।

इस निर्विवादित तथ्यात्मक स्थिति का सामना करने पर, श्री आत्मा राम ने नियमों के नियम 12.2 (3), 12.8 और 13.18 के प्रावधानों और याचिकाकर्ताओं के पुष्टिकरण आदेशों, पी -**2, पी -3 और पी -4 को चुनौती दी।**

(12) रिट याचिका अब केवल प्रतिवादी संख्या 4-32 के निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति आदेशों को चुनौती देने और याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना के संबंध में है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 4-32 के साथ इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जाए और साथ ही नियम 13.14 (2) की प्रयोज्यता के संबंध में भी इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए प्रासंगिक /लागू नियम है; साथ ही यह भी कि क्या ऊपरी अधीनस्थ कार्यालय के रूप में आठ साल के अनुभव की पात्रता शर्त संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगी।

तर्क

(13) प्रतिवादी-राज्य के रुख का खंडन करते हुए कि याचिकाकर्ताओं को नियम 13.14 (2) में आठ साल के अनुभव की शर्त के कारण निजी प्रतिवादियों के बराबर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, श्री आत्मा राम ने प्रस्तुत किया कि नियम 13.14 (2) चयन ग्रेड में पदोन्नति से संबंधित है, न कि इंस्पेक्टर के पद पर, जो नियम 13.14 (1) के (2), (3), (4) और नियम 13.14(2) के संयुक्त पठन से स्पष्ट है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप निरीक्षक से निरीक्षक तक पदोन्नति के लिए कोई आवश्यक अवधि की सेवा / अनुभव प्रदान करने वाला कोई नियम नहीं है। वह ***रोहिताश कुमार*** बनाम ***ओम प्रकाश शर्मा***[8] ***के फैसले पर भरोसा करते*** हुए तर्क देते हैं कि राज्य नियम 13.14 में यह कहने के लिए शब्द नहीं जोड़ सकता है कि यह इंस्पेक्टर की पदोन्नति पर भी लागू होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नियम 13.16 है जिसे नियम 13.1 के साथ पढ़ा जाता है जो इंस्पेक्टर के

[8] 2013 (1) SCT 537

पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करेगा और प्रतिवादी-राज्य इसका पालन करने के लिए बाध्य है।

(14) श्री आत्मा राम ने आगे कहा कि यदि नियम 13.14, जैसा कि मौजूदा है, निरीक्षकों की पदोन्नति पर लागू किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा क्योंकि सीधी भर्ती वाले उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक के रूप में नियुक्ति से पहले ऊपरी अधीनस्थ के रूप में कोई अनुभव नहीं होता है, जबकि सहायक उप निरीक्षक के पद से पदोन्नत लोगों के पास ऐसा अनुभव होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी उप निरीक्षक एक वर्ग का गठन करते हैं, समान वेतनमान, कर्तव्यों और समान वरिष्ठता वाले सहायक उप निरीक्षकों के अनुभव को उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के बाद नहीं गिना जा सकता है और भर्ती के स्रोत यानी सीधी भर्ती और पदोन्नति के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

(15) नए प्रतिवादी संख्या 33 से 35 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर 06.02.2020 के हलफनामे के पैरा 9 और 10 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नियम 13.14 (2) पर निर्माण करने और इसके पूर्ण आयात का पता लगाने के लिए, वैधानिक नियमों की पूरी योजना और उक्त नियम के अंतर-खेल का पता लगाने के लिए।नियम 13.1, 13.15 और 13.16, जो निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(16) वह **डॉ. एन. सी. सिंघल** *बनाम* **भारत संघ**[9] के ***फैसले पर भरोसा*** करते हैं कि जब किसी नियम की दो व्याख्याएं संभव हैं, तो अदालत को उस निर्माण को अपनाना चाहिए जो नियम को व्यावहारिक बनाता है। इस बात को सामने लाने के लिए कि इस तरह के निर्माण, जो संबंधित विभाग में लंबे समय से चली आ रही प्रथा के अनुरूप है, जिसके संबंध में कानून बनाया गया है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वह ***एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम*** **भारत संघ**[10]***, उड़ीसा राज्य बनाम*** **प्रसन्न कुमार साहू**[11] ***के फैसलों पर भरोसा करते हैं।*** **गुमान सिंह** ***बनाम*** **राजस्थान राज्य**[12] पर भी आश्रय किया गया ताकि यह आग्रह किया जा सके कि यदि वैधानिक नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से अंतराल को भर सकती है।

(17) नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 43 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनुपम गुप्ता ने श्री आत्मा राम के तर्क का खंडन किया कि नियम 13.14 (2) में *कैसस ओमिसस* राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए नियम को फिर से लिखने का एक

---

[9] (1980)3 SCC 29
[10] (1992) AIR (SC) 564
[11] (2007)3 SCT 560
[12] (1971)2 SCC 452

प्रयास है कि नियम निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पर भी लागू होता है। श्री गुप्ता ने दर्ज किया कि वर्तमान मामले के संदर्भ में **रोहिताश कुमार** के मामले (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा व्यक्त करना उचित नहीं होगा। वह जोर देकर कहते हैं कि कानून की कुछ प्रजातियों को छोड़कर, यह कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है, न कि शाब्दिक व्याख्या जो क्षेत्र को पकड़ लेगी। अपनी दलील को मजबूत करने के लिए, श्री गुप्ता ***संवैधानिक बेंच*** के फैसले ***तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड*** बनाम ***असम राज्य***[13] और ***अभिराम सिंह*** बनाम ***सीडी कोमाचेन (मृत)***[14] का संदर्भ देते है।

(18) श्री अनुपम गुप्ता आगे तर्क देते हैं कि 'चयन ग्रेड' और 'चयन' दोनों एक ही जाती से संबंधित हैं। यदि 'चयन ग्रेड' शब्द को कुछ अन्य अर्थ दिया जाता है, तो नियम 13.1, जो सभी रैंकों में पदोन्नति के लिए एकमात्र संस्थापक सिद्धांत के रूप में 'वरिष्ठता के साथ चयन' प्रदान करता है, मूल रूप से विरोधाभासी और नियम 13.14 के असंगत होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 13.15 में उल्लिखित 'सिफारिश', 'उपयुक्तता' शब्द चयन के अलावा और कुछ नहीं हैं। वह प्रस्तुत करता है कि नियम 13.14 और नियम 13.15 (4) में 'चयन ग्रेड' का शब्दार्थ संदर्भ कुछ आकस्मिक या आकस्मिक नहीं है, बल्कि नियमों के निर्धाता के इरादे को दर्शाता है। चूंकि नियमों में कहीं भी, किसी भी रैंक पर पदोन्नति केवल वरिष्ठता में निहित नहीं है, इसलिए यह व्याख्या कि नियम 13.14 (2) इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए लागू है, उद्देश्यपूर्ण नहीं है, बल्कि नियमों की शाब्दिक व्याख्या है।

वह **ललित मोहन देब और अन्य बनाम** ***भारत संघ और अन्य***[15] *के फैसले पर भरोसा करते हैं* जहां *नियमों में* कमी थी, 'चयन ग्रेड' और उसी संवर्ग के कुछ सदस्यों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने की व्याख्य न्यायालय द्वारा 'चयन ग्रेड' के संदर्भ में 'चयन ग्रेड' के रूप में की गई थी ताकि यह आग्रह किया जा सके कि यदि यह स्वीकार्य है तो नियम 13.1 में निहित सिद्धांतों के अनुसार नियम 13.14 में राज्य द्वारा अंतर को भरने को बुरा या अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता है। इसके बाद उन्होंने श्री आत्मा राम के इस वैकल्पिक तर्क को खारिज कर दिया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा करना सरकार द्वारा राज्य के नियमों को फिर से लिखने का प्रयास है। चाहिए, **संत राम शर्मा** ***बनाम*** **राजस्थान राज्य**[16] ***के फैसले का हवाला देते हुए अपनी दलीलों को समाप्त*** करते हुए कहा कि वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति राज्य को उच्च ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कोई रोक नहीं है जब तक कि ऐसे निर्देश इस विषय पर नियम के साथ असंगत नहीं हैं और वर्तमान मामले में, राज्य ने हलफनामे में कहा है कि नियम 13.14 (2) का राज्य द्वारा लगातार और बिना किसी विचलन के पालन किया गया है।

---

[13] 1989 (3) SCC 709
[14] (2017)2 SCC 629
[15] (1973)3 SCC 862
[16] 1968 (1) SCC 111

(19) खंडन में श्री आत्मा राम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं **हेड कांस्टेबल सार्दुल सिंह *बनाम पुलिस* महानिरीक्षक, पंजाब**[17] ***मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ*** ने कहा कि एलडी लॉ ऑफिसर द्वारा पेश किए गए और 'मार्क ए' के रूप में रिकॉर्ड पर लिए गए निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं, जिनके पास वैधानिक नियमों के पूरक के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ***संत राम शर्मा के मामले*** में भी, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने कहा कि पूरक निर्देश केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं जो नियम बनाने के लिए सक्षम हैं, बशर्ते वे पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत न हों। इस संबंध में, वह ***हरियाणा राज्य*** बनाम ***शमशेर जंग बहादुर***[18] के फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या स्थान नहीं ले सकती है, जो पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं हैं। श्री आत्मा राम ने ***उत्तर प्रदेश राज्य*** बनाम ***मैसर्स सीतापुर पैकिंग लकड़ी आपूर्तिकर्ता***[19] में निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया, ***यह आग्रह करने के लिए*** कि कानून किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कोई संभवतः नहीं कर सकता है। एक बार चयन ग्रेड समाप्त हो जाने के बाद, किसी भी उपनिरीक्षक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसे सूची 'एफ' में आगे प्लेसमेंट के लिए चयन ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

(20) प्रतिवादी संख्या 36-42 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बहल ने विद्वान वकीलों द्वारा पहले से की गई प्रस्तुतियों को दोहराया है। वह ***राकेश वधावन*** बनाम ***मेसर्स जगदम्बा औद्योगिक निगम***[20] के फैसले पर भी भरोसा करते हैं कि यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि अस्पष्टता के मामले में, प्रावधान को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि कठिनाई, असुविधा, बेतुकापन और विसंगति से बचा जा सके।

(21) प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने और पार्टियों के वकीलों की सक्षम सहायता से दलीलों को पढ़ने के बाद, निम्नलिखित दो मुद्दे हमारे विचार के लिए उठते हैं:

क. क्या नियम 13.14(2) निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित करता है?

ख. यदि नियम 13.14 (2) लागू होता है, तो क्या आठ साल के अनुभव की शर्तें मनमानी और भेदभावपूर्ण हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करते हुए इसे रद्द करने की आवश्यकता है?

<u>चर्चा और विश्लेषण</u>:

---

[17] 1970 AIR (Punjab) 481
[18] AIR 1972 SC 1546
[19] (2002)4 SCC 566
[20] (2002)5 SCC 440

<u>मुद्दा संख्या 1:</u>

(22) प्रतिवादी-राज्य ने दिनांक 10.07.2015 और 06.02.2020 के अपने हलफनामों में नियम 13.15 (4) का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि निरीक्षकों को पदोन्नति उप-निरीक्षकों में से की जाती है, जिनके नाम सूची 'एफ' में लाए जाते हैं और केवल उन्हीं उप-निरीक्षकों के नाम सूची 'एफ' में लाए जाते हैं जो नियम 13.14 (2) के तहत निर्धारित पात्रता शर्त को पूरा करते हैं। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, हमें आवश्यक रूप से प्रासंगिक नियमों पर एक नज़र डालनी चाहिए जो इस प्रकार हैं जहां तक वे सामग्री हैं: -

> "**<u>1.13.</u>** पुलिस अधिकारियों की कक्षाएं और रैंक। - "राजपत्रित पुलिस अधिकारी" शब्द 1861 की धारा 4, अधिनियम V के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है, और इसमें महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और उपाधीक्षक शामिल होते हैं।
>
> "नामांकित पुलिस अधिकारी" शब्द 1861 की धारा 7, अधिनियम V के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है, और इसमें निरीक्षक, सार्जेंट, उप-निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।
>
> **<u>"ऊपरी अधीनस्थ" शब्द में सहायक उप-निरीक्षक के रैंक के सभी नामांकित पुलिस अधिकारी शामिल हैं</u>।**
>
> "लोअर अधीनस्थ" अभिव्यक्ति में अन्य सभी नामांकित पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
>
> **<u>13.1. से पदोन्नति एक रैंक से दूसरे रैंक तक</u>**. -
>
> **(1)** एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में एक ही रैंक में पदोन्नति किसके द्वारा की जाएगी<u>?</u> **<u>मुख्य चयन को प्रभावित करने वाले कारक वरिष्ठता के आधार पर चयन. दक्षता और ईमानदारी है।</u>** विशिष्ट योग्यता, चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हो या व्यावहारिक अनुभव, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। जब दो अधिकारियों की योग्यता अन्यथा समान होती है, तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियम समय-पैमाने के भीतर वेतन वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है।
>
> (2) पुलिस बल के वर्तमान संविधान के तहत किसी भी निचले अधीनस्थ को आमतौर पर जांच के स्वतंत्र संचालन या पुलिस स्टेशन या इसी तरह की इकाई का स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए आवश्यक विशेषताओं वाले अच्छी तरह से शिक्षित कांस्टेबलों को त्वरित पदोन्नति प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द उस रैंक तक पहुंच सकें, जैसे ही वे निर्धारित पाठ्यक्रमों को पास

कर लेते हैं, और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रैंक में परीक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) **नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए छह पदोन्नति सूचियां - ए, बी, सी, डी, ई और एफ रखी जाएंगी।**

नियम 13.6, 13.7, 13.8 और 13.9 में निर्धारित प्रत्येक जिले में सूची ए, बी, सी और डी रखी जाएगी और कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। सूची ई को उप-नियम 13.10 (1) में निर्धारित उप महानिरीक्षक के कार्यालय में बनाए रखा जाएगा और उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगा।**सूची एफ को उप-नियम 13.15 (1) में निर्धारित महानिरीक्षक के कार्यालय में बनाए रखा जाएगा और निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगा।**

ए, बी, सी, डी या ई सूचियों में प्रविष्टि या हटाने को ऑर्डर बुक में और संबंधित पुलिस अधिकारी के चरित्र रोल में दर्ज किया जाएगा। ये सूचियां उन अधिकारियों की नाममात्र की सूचियां हैं जिनके प्रवेश को अधिकृत किया गया है। चरित्र रोल की सावधानीपूर्वक जांच के बिना कोई वास्तविक चयन नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियमों में निहित कुछ भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

उपनिरीक्षकों के चयन ग्रेड में पदोन्नति।

(1) उपनिरीक्षकों के विभिन्न चयन ग्रेडों में पदोन्नति पुलिस अधीक्षकों और सहायक अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों की स्वीकृत स्थापना में रिक्तियां नियम 13.1 में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार होती हैं।

(2) **किसी भी उप-निरीक्षक को चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके पास ऊपरी अधीनस्थ के रूप में कम से कम आठ साल की अनुमोदित सेवा न हो, जिसमें से कम से कम पांच उप-निरीक्षक के पद पर रहे हों, और जब तक कि वह प्रथम श्रेणी महत्व के पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए पूरी तरह से कुशल और सक्षम न हो।** कोई भी उप-निरीक्षक जिसे कटौती, वेतन वृद्धि को रोकने, या वेतन वृद्धि के लिए अनुमोदित सेवा को जब्त करके दंडित किया गया है, चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होगा। इस

नियम के अपवाद केवल विशिष्ट सेवा और अनुकरणीय आचरण की मान्यता में महानिरीक्षक की मंजूरी से किए जा सकते हैं।

(3) चौथे चयन ग्रेड में पदोन्नत उप-निरीक्षक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे और यदि वे आचरण और दक्षता के अनुकरणीय मानक को बनाए रखने में विफल रहते हैं तो उन्हें उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या समाप्ति पर औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बिना वापस किया जा सकता है। [बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, यदि वह किसी भी मामले में उचित समझता है, तो परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है क्योंकि यह परिवीक्षा की मूल अवधि के दौरान या समाप्ति पर पारित हो सकता है]।

<u>सूची एफ - निरीक्षकों को पदोन्नति</u>।

(1) सार्जेंट और उप निरक्षक की ओर से सिफारिशें पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले निरीक्षकों को प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को पुलिस अधीक्षकों द्वारा फॉर्म 13.15 (1) में उप महानिरीक्षक को उनके एसीआर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी रेलवे पुलिस भी उसी रूप में सहायक महानिरक्षक से पुलिस महानिरक्षक के पद पर पद्दोन्नति के लिए अक्टूबर से पहले प्रस्तुत किया जायगा। उप महानिरीक्षक सिफारिश किए गए अधिकारियों को देखने के बाद, उनके रिकॉर्ड और उनके बारे में अपने स्वयं के ज्ञान पर विचार करने के बाद यह तय करेगा कि क्या पुलिस अधीक्षकों की सिफारिशों का समर्थन करना है और उन्हें महानिरीक्षक को अग्रेषित करना है। वह किसी भी सिफारिश की एक प्रति अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल में रखेगा: यदि वह किसी सिफारिश का समर्थन नहीं करने का निर्णय लेता है, तो वह अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल में मूल को बनाए रखेगा और संबंधित अधीक्षक को उस पर अपने स्वयं के आदेश की एक प्रति भेजेगा। उप महानिरीक्षक अंतिम रूप से महानिरीक्षक को सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे जैसे ही वे अनुशंसित अधिकारियों की योग्यता के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से पहले।

(2) महानिरीक्षक द्वारा अनुशंसित ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति सूची 'एफ' (प्रपत्र 13.15(2) में भर्ती किया जाएगा, जिसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उप महानिरीक्षकों को सूचित किया जाएगा और वे संबंधित अधीक्षकों को उन लोगों के नामों के बारे में सूचित करेंगे जिन्हें सूची में शामिल किया गया है, इसी प्रकार की सूचना सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस को भेजी जाएगी।

सूची में शामिल उप-निरीक्षकों की मूल व्यक्तिगत फाइलों को नियम 13.38 (1) के अनुसार उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यालय में बनाए रखने के लिए प्रतिलिपि तैयार किए जाने के बाद महानिरीक्षक

को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सूची में शामिल सार्जेंट और उप-निरीक्षकों दोनों के संबंध में फॉर्म 13.17 में तैयार की गई सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां, नियम 13.17 (1) के अनुसार महानिरीक्षक द्वारा वापस आने पर, उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा संबंधित अधिकारियों की प्रतिलिपि व्यक्तिगत फाइलों के साथ दर्ज की जाएंगी। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अलावा व्यक्तिगत फाइलों में किए जाने वाले सभी प्रविष्टियों की प्रतियां मूल व्यक्तिगत फाइलों के साथ रिकॉर्ड के लिए बनते ही महानिरीक्षक को अग्रेषित की जाएंगी; ऐसी सभी प्रतियों को उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाएगा।

(3) सूची एफ में नए नामों की प्रविष्टि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करते समय, उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, उसी समय सूची में पहले से भर्ती अधिकारियों को बनाए रखने या हटाने के बारे में विशिष्ट सिफारिशें (जो विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट के साथ आवश्यक नहीं हैं) प्रस्तुत करेंगे। इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर, महानिरीक्षक प्रांतीय सूची की समीक्षा करेगा, और नामों को बनाए रखने या बाहर करने के बारे में आदेश पारित करेगा, साथ ही उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस को अपने निर्णय से अवगत कराएगा।

(4) **सूची 'एफ' में भर्ती उप-निरीक्षकों को चयन ग्रेड में उनकी स्थायी पदोन्नति की तारीख के अनुसार उस सूची में रखा जाएगा, और, यदि चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख एक और एक ही तारीख को सूची 'एफ' में भर्ती दो या दो से अधिक उप-निरीक्षकों के मामले में समान है, तो समय-पैमाने पर स्थायी पदोन्नति की तारीख के अनुसार।**_ सार्जेंट को सूची में प्रवेश की तारीख के अनुसार सूची 'एफ' में दिखाया जाएगा। हालांकि, जब दो या दो से अधिक सार्जेंट को एक ही तारीख को सूची 'एफ' में भर्ती कराया जाता है, तो उनके नाम आपस में वरिष्ठता के क्रम में दिखाए जाएंगे।

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति। -

(1) परिवीक्षाधीनों की नियुक्ति के लिए विशेष रूप से नामित अधिकारियों को छोड़कर निरीक्षक के रैंक में मूल रिक्तियों **को नियम 13.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार चयनित सूची एफ से अधिकारियों की पदोन्नति से भरा जाएगा।**सार्जेंट यूरोपीय निरीक्षकों के लिए आरक्षित नियुक्तियों में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

(2) निरीक्षक रैंक में अस्थायी रिक्तियों को नियुक्ति करने के लिए नियम 13.4 द्वारा सशक्त अधिकारियों द्वारा एफ सूची के अधिकारियों की कार्यवाहक पदोन्नति से भरा जाएगा। इस तरह की कार्यवाहक पदोन्नतियां ई सूची के मामले में उप-नियम 13.12(1) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की जाएंगी, और उस नियम का दूसरा भाग, उत्परिवर्तनों का नियम, एफ सूची के अधिकारियों के काम की जांच और निरीक्षक के पद के लिए अयोग्य पाए गए लोगों के नामों की उस सूची से हटाने को नियंत्रित करेगा।

(3) कोई भी अधिकारी जिसका नाम एफ सूची में नहीं है, उसे महानिरीक्षक की विशेष मंजूरी के बिना निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब एफ सूची में कोई अधिकारी उस रिक्ति के लिए सीमा में उपलब्ध नहीं होता है जिसे भरने के लिए उप महानिरीक्षक की आवश्यकता होती है, तो किसी अन्य श्रेणी से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए महानिरीक्षक को आवेदन किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

(23) उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों को पढ़ने से यह पता चलता है कि नियम 13.1(1) में यह प्रावधान है कि एक रैंक से दूसरे रैंक और एक ग्रेड से दूसरी कक्षा में सभी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर चयन के सिद्धांत के अनुसार की जाएगी***, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि चयन बेहतर उपयुक्तता/योग्यता के निर्धारण में प्रमुख कारक होगा जो*** *वरिष्ठता* का मार्ग प्रशस्त करेगा यदि दो अधिकारी समान योग्यता पर खड़े होते हैं। उप-नियम (3) में नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के उद्देश्य से छह पदोन्नति सूची - ए, बी, सी, डी, ई और एफ तैयार करना अनिवार्य है। नियम 13.6, 13.7, 13.8 और 13.9 में निर्धारित प्रत्येक जिले में सूची ए, बी, सी और डी बनाए रखी जाएगी और कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। उप-नियम 13.10 (1) में निर्धारित सूची ई, उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। उप-नियम 13.15 (1) में निर्धारित सूची एफ, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगी।

(23.1) नियम 13.15 के प्रावधानों के अनुसार उप-निरीक्षकों को पदोन्नति सूची 'एफ' में भर्ती किया जाता है। उप-नियम (4) सूची 'एफ' में प्रवेश को केवल उन उप-निरीक्षकों तक सीमित करता है जिन्हें चयन ग्रेड यानी पदोन्नति पैमाने पर पदोन्नत किया गया है। उनके नाम चयन ग्रेड में उनकी स्थायी पदोन्नति की तारीख के क्रम में सूची में रखे जाने हैं और यदि दो या दो से अधिक उप-निरीक्षकों को एक ही तारीख को सूची 'एफ' में भर्ती किया जाता है तो समय मान में उनकी स्थायी पदोन्नति की तारीख के अनुसार यानी उप-निरीक्षक के संवर्ग में सेवा की लंबाई के आधार पर। नियम 13.16 के प्रावधानों के अनुसार, निरीक्षक रैंक

में सभी मूल रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, को नियम 13.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार चयनित सूची 'एफ' से अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। उप-नियम (3) किसी भी अधिकारी की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है जिसका नाम सूची 'एफ' में नहीं है, यहां तक कि निरीक्षक के रूप में भी कार्य करने के लिए।

(23.2) उपनिरीक्षकों के चयन ग्रेडों में पदोन्नति नियम 1314 द्वारा अभिशासित होती है। चयन ग्रेड एक ही रैंक में पदोन्नति पैमाने की प्रकृति के होते हैं जो नियम 13.14 के उप-नियम (3) को पढ़ने से स्पष्ट होता है। उप-नियम (2) उप-निरीक्षक को चयन ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए पात्रता निर्धारित करता है जो ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ साल की अनुमोदित सेवा है, जिसमें से कम से कम पांच उप-निरीक्षक के पद पर होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि कोई भी उप-निरीक्षक जिसे वेतन वृद्धि में कमी, वेतन वृद्धि को रोकने, या वेतन वृद्धि के लिए अनुमोदित सेवा को जब्त करके दंडित किया गया है, वह चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा। नियम 1.13 (पैरा 22 में पुन: प्रस्तुत) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि ऊपरी अधीनस्थों में सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक और निरीक्षक के रैंक के सभी नामांकित पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

(23.3) इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नियम 13.14 के उप-नियम (2) के तहत प्रदान किए गए पात्रता मानदंड आगे पदोन्नति के लिए हैं, भले ही उसी रैंक में और उपर्युक्त नियमों के संयुक्त अध्ययन से यह पता चलता है कि यह निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने के लिए नियमों में प्रदान किया गया एकमात्र मानदंड है। जिसके बिना '*वरिष्ठता*' पदोन्नति के लिए एकमात्र आधार/मानदंड बन जाएगा जो *नियम 13.1 के तहत प्रदान किए* गए 'वरिष्ठता के आधार पर चयन' के सिद्धांत के साथ सीधे टकराव में होगा।

हमारा विचार है कि चयन ग्रेड पदोन्नति पैमाने की प्रकृति का है और इसलिए निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए वही मानदंड / पात्रता लागू होगी, ***ललित मोहन देब के मामले (उपयोक्त)*** में निर्णय से भी मजबूत होता है जिसमें 'चयन ग्रेड' को निर्णय के पैरा 7 में उनके लॉर्डशिप द्वारा संक्षेप में समझाया गया है, जो नीचे दिया गया है:

> "7. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री सेन ने समान श्रेणी के पदों में वेतनमान रखने के प्रशासन के अधिकार को चुनौती नहीं दी। एक ही श्रेणी के पदों में चयन ग्रेड का प्रावधान कोई नई बात नहीं है। इसे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पैरा 10 में रिपोर्ट का अध्याय X में मान्यता दि गई है आयोग ने पाया की 'उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए जिन कर्मचारियों के पास कोई आउटलेट या बहुत सीमित आउटलेट नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, हम कई मामलों में सिफारिश कर रहे हैं कि ग्रेड में पदों का एक निश्चित प्रतिशत - आमतौर पर 10

प्रतिशत - को कुछ हद तक उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए, भले ही कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रचलित शब्दावली का पालन करते हुए हमने इन पदों को चयन ग्रेड पदों के रूप में वर्णित किया है। **"यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि एक पदोन्नति पद उच्च वेतन के साथ एक उच्च पद है। एक चयन ग्रेड में उच्च वेतन होता है लेकिन एक ही पद पर। एक चयन ग्रेड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सक्षम कर्मचारी जिन्हें पदोन्नति के सीमित आउटलेट के कारण पदोन्नति का मौका नहीं मिल सकता है, उन्हें कम से कम चयन ग्रेड में रखा जाना चाहिए ताकि अधिकतम पैमाने पर ठहराव को रोका जा सके। इसलिए, चयन ग्रेड अधिक दक्षता के हित में बनाए जाते हैं।**वर्तमान मामले में प्रशासन की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह समझाया गया है कि **उच्च स्केल पर कुछ सहायकों के चयन का आधार वरिष्ठता-सह-योग्यता है जो प्रशासन में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने वाले पदोन्नति के दो या तीन सिद्धांतों में से एक है और वेतन आयोग** द्वारा रिपोर्ट के अध्याय XXXXV में विधिवत मान्यता प्राप्त है।रिपोर्ट के अध्याय XXXXV में विधिवत मान्यता प्राप्त है। इसलिए, श्री सेन सहायकों की श्रेणी में चयन ग्रेड बनाने के प्रशासन के अधिकार को चुनौती नहीं देने के लिए बिल्कुल सही थे।

(आपूर्ति पर जोर दें)

(24) जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, 2001 से पहले, उप-निरीक्षकों के सभी पद (100%) पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे, इसलिए, भले ही वर्ष 1986 में राज्य द्वारा चयन ग्रेड को समाप्त कर दिया गया था, उप-निरीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता और इंस्पेक्टर के पद पर उनकी आगे पदोन्नति के बारे में कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। सभी उप-निरीक्षकों के पास सहायक उप-निरीक्षक के पिछले रैंक में अनुभव होता था, इस प्रकार उप-निरीक्षक के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लेकिन अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, उन्हें सूची 'एफ' में लाया गया था। दिनांक 24-12-2001 की अधिसूचना द्वारा 50% पदों की सीमा तक प्रत्यक्ष कोटा शुरू किए जाने के बाद ही यह कथित विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें यह संभव है कि किसी निश्चित समय पर, पदोन्नति कोटे से निरीक्षक के पद को भरते समय, एक पदोन्नत उप-निरीक्षक, हालांकि सीधी भर्ती वाले उप-निरीक्षक से कनिष्ठ हो, ऊपरी अधीनस्थ अधिकारी के रूप में निर्धारित आठ साल का अनुभव रखने के कारण अपने वरिष्ठ अधिकारी पर बढ़त हासिल कर सकता है, जबकि एक सीधी भर्ती वाले ऊपरी अधीनस्थ अधिकारी के पास आवश्यक अनुभव नहीं हो सकता है।

(25) जैसा भी हो, उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों को पढ़ने से यह पता चलता है कि नियम 1314 अभी भी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों की योजना में शामिल है। इसके अलावा, यह नियम 13.15 की नींव का गठन करता है। यदि

नियम 13.14 में कोई आवेदन नहीं है जैसा कि हमारे समक्ष आग्रह किया गया है, तो सूची 'एफ' नहीं हो सकती है और यदि कोई सूची 'एफ' नहीं है, तो निरीक्षक के पद पर कोई पदोन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए, यदि हम श्री आत्मा राम के इस तर्क को स्वीकार भी कर लें कि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नियम 13.16 के उपबंधों के अनुसार की जानी है और नियम 13.1 के अनुसार की जानी है, तो भी सूची 'एफ' तैयार करना एक पूर्व-शर्त होगी, जो बदले में नियम 13.14 के अस्तित्व और प्रयोज्यता पर निर्भर करता है।

(26) हालांकि, एलडी वरिष्ठ वकील के तर्क का परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि इस विवाद को अंततः समाप्त किया जा सके। दिनांक 06.02.2020 के हलफनामे के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1986 में चयन ग्रेड को समाप्त कर दिया गया था, हालांकि, इसने न तो 13.14 नियम को नियमों से हटाया और न ही नियम 13.15 (4) में कोई संशोधन किया गया था। पुन जब नियम 123 में संशोधन किया गया जिसके तहत उप निरीक्षक के संवर्ग में सीधी भर्ती शुरू की गई तो नियम 1314 और 1315 के प्रावधानों को यथावत रखा गया। बल्कि हमारे समक्ष, राज्य का यह स्पष्ट रुख है कि 01.11.1966 को हरियाणा राज्य के गठन के बाद से आज तक, उप-निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति याचिकाकर्ताओं सहित नियम 13.14 (2) और 13.15 (4) के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इस प्रकार, यह हमारे सामने स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद से, निरीक्षक के पद पर सभी पदोन्नति नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर की गई है।

जब 1986 में चयन ग्रे्ड को समाप्त कर दिया गया था अथवा वर्ष 2001 में नियम 123 में संशोधन किया गया था तो प्रतिवादी राज्य द्वारा नियम 1314(2) और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

(27) यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालयों को किसी भी ऐसे निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से परखना चाहिए जो किसी क़ानून को अमान्य कर देता है या इसे अव्यावहारिक बना देता है। *"ut res magisvaleat quam pereat"* के सिद्धांत के आधार पर किसी क़ानून के प्रावधान को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि इसे प्रभावी और क्रियाशील बनाया जा सके/ *हम* **तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड** बनाम ***असम राज्य***[21] ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात का सम्मानपूर्वक पालन करते*** हैं जो ***गुजरात राज्य*** *बनाम* ***न्यायमूर्ति आर ए मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य***[22] *में* ***दोहराया गया*** । न्यायमूर्ति आर. ए. मेहता के मामले ***में,*** *लोकायुक्त की नियुक्ति में राय की प्रधानता के मुद्दे से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात लोकायुक्त अधिनियम, 1986 की धारा 3 में उल्लिखित 'परामर्श' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है:*

---

[21] 1990 AIR (SC) 123

[22] (2013) 3 SCC 1

“96. वैधानिक निर्माण की प्रक्रिया में, न्यायालय को अपने समक्ष अधिनियम का अर्थ लगाना चाहिए, कानूनी मानदंड को ध्यान में रखते हुए - जिसका अर्थ है - किसी चीज को शून्य बनाने की तुलना में इसका प्रभाव होना बेहतर है, अर्थात, एक क़ानून को इस तरह से समझा जाना चाहिए, ताकि इसे व्यावहारिक बनाया जा सके। नोक्स बनाम डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड, (1940) 3 ऑल ईआर 549 के मामले में विस्काउंट साइमन, एल.सी.-

"यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, जिनमें से संकुचित कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा, तो हमें एक ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थक बना देगा, इसके बजाय साहसी निर्माण को स्वीकार करना चाहिए, इस दृष्टिकोण के आधार पर कि संसद केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी। "

97. इसी तरह व्हिटनी बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, 1926 एसी 37 में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

"एक क़ानून को व्यावहारिक होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और एक अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट निर्देश उस अंत को अप्राप्य न बना दे। "

98. वैधानिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य से उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, और अदालतों को यह बताना चाहिए कि क़ानून को अमान्य बनाने के बजाय क़ानून का क्या अर्थ होना चाहिए, क्योंकि क़ानून क्रियाशील होने के लिए हैं और अयोग्य नहीं हैं।

अदालतों को किसी क़ानून को अव्यावहारिक घोषित करने से बचना चाहिए। व्याख्या के नियमों के लिए आवश्यक है कि निर्माण, जो क़ानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, पार्टियों के हितों की रक्षा करता है और उपाय को जीवित रखता है, क़ानून के पाठ और संदर्भ को देखते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्माण को क़ानून के उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है और इसके उद्देश्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। **"अदालतें किसी भी निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक क़ानून को निरर्थक बना देता है। क़ानून के प्रावधान को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि इसे प्रभावी और क्रियाशील बनाया जा सके। अदालत को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए क़ानून लागू किया गया था, क्योंकि कानून का उद्देश्य ही अदालतों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करता है क्योंकि वे अधिनियम के सही अर्थ की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार, विधायी**

> **<u>निरर्थकता को खारिज किया जाना चाहिए। एक क़ानून को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम स्वयं एक मृत पत्र न बन जाए, और विधायिका का स्पष्ट इरादा पराजित न हो, जब तक कि यह उपयोग में पूर्ण असंगतता का मामला न हो।</u>** अदालत को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाता है और उपाय को आगे बढ़ाता है और "शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और अपवंचनों को दबाने के लिए, और निजीकरण को बढ़ावा देता है, और अधिनियम के निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार इलाज और उपचार में बल और जीवन जोड़ता है"। न्यायालय को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को इस कारण से प्रभावी करना चाहिए कि विधायिका को एक उचित क़ानून अधिनियमित करने के लिए माना जाता है। (विदे: एम. पेंटियाह और अन्य बनाम मुद्दल वीरमल्लप्पा और अन्य, एआईआर 1961 एससी 1107; एस. पी. जैन बनाम कृष्ण मोहन गुप्ता और अन्य, एआईआर 1987 एससी 222; भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड ओर्स, एआईआर 1987 एससी 1023; तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य और अन्य, एआईआर 1990 एससी 123; यूको बैंक और अन्य बनाम राजिंदर लाल कपूर, (2008) 5 एससीसी 257; और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और अन्य बनाम पूर्वी धातु और फेरो मिश्र धातु और अन्य, (2011) 11 एससीसी 334)।
>
> (जोर दिया गया)

केंद्रीय ***जांच ब्यूरो, बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल*** बनाम ***रमेश गेली और अन्य***[23] के मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, आईपीसी की धारा 21 और धारा 409 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के साथ संयोजन के रूप में अदालत ने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को लागू किया।यह माना गया कि यहां तक कि एक निजी बैंक के पदाधिकारी भी लोक सेवक की परिभाषा के भीतर आएंगे:-

> "10. ..... न्यायालय को इसके कारणों पर अटकलें लगाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, शायद एक संभावित कारण पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) द्वारा बनाई गई "लोक सेवक" की परिभाषा का व्यापक विस्तार हो सकता है। "लोक सेवक" की परिभाषा का विस्तार करने के लिए, अध्याय IX से आईपीसी की धारा 161 से 165A को हटाने के बाद BR अधिनियम की धारा 46A में पीसी

[23] (2016) 3 SCC 788

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने की चूक को पूरी तरह से अनपेक्षित विधायी चूक माना जा सकता है जिसे न्यायालय व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा भर सकता है। **यद्यपि कैसस ओमिसस का नियम, अर्थात्, "जो क़ानून में प्रदान नहीं किया गया है, उसे न्यायालयों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है" व्याख्या का एक सख्त नियम है, लेकिन इसके कुछ प्रसिद्ध अपवाद हैं।** सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम अशर, (1949) 2 एलईआर 155 में पृष्ठ 164 पर लॉर्ड डेनिंग की निम्नलिखित राय पर ध्यान दिया जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

"अंग्रेजी भाषा गणितीय परिशुद्धता का साधन नहीं है। अगर हमारा साहित्य होता तो वह और भी गरीब होता... उसे (न्यायाधीश को) संसद की मंशा का पता लगाने के रचनात्मक कार्य में अवश्य कार्य करना चाहिए, और उसे यह कार्य न केवल क़ानून की भाषा से, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करके भी करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया, और उस शरारत के बारे में भी जिसे सुधारने के लिए इसे पारित किया गया था, और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" दिया जा सके..... एक न्यायाधीश को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं ने खुद इस हंगामे को इसकी बनावट में देखा होता, तो वे इसे कैसे सीधा कर देते? फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा वे करते। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिसके आधार पर अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह इस विवाद को दूर कर सकता है और उसे इसे दूर करना चाहिए।

मैगोर एंड सेंट मेलोन्स रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम न्यूपोर्ट कॉर्पोरेशन, (1950) 2 एलईआर 1226 में विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त सिद्धांतों को कुछ अलग रूप में निम्नलिखित प्रभाव से दोहराया: "हम यहां संसद और मंत्रियों की मंशा का पता लगाने और इसे पूरा करने के लिए बैठते हैं, और हम इसे विनाशकारी विश्लेषण के लिए खोलने की तुलना में अंतराल को भरने और अधिनियमन की समझ बनाने से बेहतर करते हैं।

11. यद्यपि लॉर्ड डेनिंग की उपरोक्त टिप्पणियों ने अपने ही देश में तीखी आलोचना को आमंत्रित किया था, हम बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा और अन्य, (1978) 2 एससीसी 213 में "उद्योग" शब्द को परिभाषित करने की न्यायिक खोज में उसी और अंतर्निहित अनुमोदन का संदर्भ पाते हैं। बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (सुप्रा) में मुख्य न्यायाधीश एमएच बेग की राय के पैराग्राफ 147 और 148, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं, स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की स्वीकृति को इंगित करेंगे।

"147. मेरे विद्वान भाई ने इंग्लैंड में सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड में निर्माण की कुछ हद तक अपरंपरागत विधि पर भरोसा किया है। अशर [(1949 2 ऑल ईआर 155, 164), जहां लॉर्ड डेनिंग, एल.जे. ने कहा:

<u>जब कोई दोष दिखाई देता है, तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ नहीं जोड़ सकता है और ड्राफ्ट्समैन को दोष नहीं दे सकता है। उन्हें संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करना चाहिए - और फिर उन्हें लिखित शब्दों को पूरक करना चाहिए ताकि वे दे सकें</u>

<u>विधायिका के इरादे के लिए 'बल और जीवन'। एक न्यायाधीश को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यदि अधिनियम के निर्माताओं ने स्वयं इस हंगामे को इसकी बनावट में देखा होता, तो वे इसे कैसे सीधा कर देते? फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा वे करते। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिसके बारे में अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह क्रीज को दूर कर सकता है और उसे दूर करना चाहिए।</u>

जब यह मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ लॉर्ड्स ने अस्पष्ट कानून को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए डेनिंग। लॉर्ड के साहसिक प्रयास को अस्वीकार कर दिया लॉर्ड सिमंड्स ने इसे "व्याख्या की पतली आड़ में विधायी कार्य का एक नग्न हड़प" पाया। लॉर्ड मॉर्टन (जिनके साथ लॉर्ड गोडार्ड पूरी तरह से सहमत थे) ने कहा: "ये वीरताएं जगह से बाहर हैं" और लॉर्ड टकर ने कहा "यदि डेनिंग, एल.जे. द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण प्रबल होता है, तो आपका लॉर्डशिप न्यायिक क्षमता के बजाय विधायी रूप से कार्य करेगा।
148. शायद, समय बीतने के साथ, इच्छाओं के निर्माण में "आर्मचेयर नियम" जैसी विधि के विस्तार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। न्यायाधीश अधिक स्पष्ट रूप से विधायिका की जगह ले सकते हैं जहां एक अधिनियमन अपने स्वयं के इरादों को बहुत ही अस्पष्ट या अनिश्चित स्थिति में छोड़ देता है। एम. पेंटियाह वी. मुद्दल वीरमल्लप्पा [(1961) 2 एससीआर 295], सरकार, जे., लॉर्ड डेनिंग द्वारा अपनाए गए ऊपर दिए गए तर्क को मंजूरी देते हैं। और, मुझे यह अवश्य कहना होगा कि, ऐसे मामले में जहां "उद्योग" की परिभाषा उस राज्य में छोड़ दी गई है जिसमें हम इसे पाते हैं, स्थिति शायद उठाई गई कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ न्यायिक वीरता की मांग करती है।

12. इस दृष्टिकोण के लिए अन्य न्यायिक दृष्टांत भी हैं कि मैंने उसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना पसंद किया है जिस पर मेरे विद्वान भाई प्रफुल्ल सी पंत, जे पहुंचे हैं। मैं उनमें से केवल एक का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, अर्थात् इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दादी जगन्नाधाम बनाम जम्मूलू रामुलु

और अन्य, 2001 (4) आरसीआर (सिविल) 267: (2001) 7 SCC 71 मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा।

(जोर दिया गया)

(28) ***रोहिताश कुमार के मामले* (उपरोक्त)** में भी, *जिस पर* श्री आत्मा राम द्वारा भारी निर्भरता रखी गई है, जहां नियम के प्रावधान की व्याख्या न्यायालय के विचारार्थ आई थी, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया था जैसा कि हमारे समक्ष प्रचारित किया गया है। यह माना गया था कि जहां क़ानून का पाठ किसी अस्पष्टता या अस्पष्टता से ग्रस्त नहीं है और विधायिका की मंशा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है, एक क़ानून की शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, हालांकि, उद्देश्यपूर्ण निर्माण का सहारा लिया जा सकता है, ताकि क़ानून को इसके ताने-बाने में बदलाव किए बिना व्यावहारिक बनाया जा सके। निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है:

> "22. न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि, किसी संविधि के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, वह एक भी शब्द को न तो जोड़ सकता है, न ही घटा सकता है। कानूनी मैक्सिम "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रेडिएंडम" का अर्थ है, "कानून के शब्दों से, कोई प्रस्थान नहीं होना चाहिए"। एक खंड की व्याख्या उसके सभी भागों को एक साथ पढ़कर की जानी चाहिए, और उसके किसी भी भाग को छोड़ना स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय इस धारणा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है कि विधायिका ने संविधि को अधिनियमित करते समय गलती की है; उसे इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधायिका ने जो कहा है उसका इरादा है; यहां तक कि अगर क़ानून तैयार करने में इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाक्यांशविज्ञान में कुछ दोष है, और **यह अदालत के लिए खुला नहीं है कि वह अधिनियम में छोड़ी गई कमियों को जोड़ने और संशोधित करने या निर्माण द्वारा उन कमियों को पूरा करे। न्यायालय केवल सीमाओं को दूर कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय, उसे उस ताने-बाने को नहीं बदलना चाहिए, जिसका एक अधिनियम बुना गया है।** न्यायालय, वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, किसी क़ानून में शब्दों को नहीं जोड़ सकता है, या इसमें उन शब्दों को नहीं पढ़ सकता है जो इसका हिस्सा नहीं हैं, खासकर जब उसी का शाब्दिक पठन, एक समझदार परिणाम उत्पन्न करता है। (देखें: नलिनख्या बायसैक बनाम श्याम सुंदर हलदर और अन्य, एआईआर 1953 एससी 148; श्री राम नारायण मेधी वी. स्टेट ऑफ बॉम्बे, एआईआर 1959 एससी 459; एम. पैंटियाह एंड ओर्स। मुदला वीरमल्लप्पा और अन्य, एआईआर 1961 एससी 1107; बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबूभाई शंकरलाल पांड्या और अन्य,

एआईआर 1987 SC 849; और दादी जगन्नाधम बनाम जम्मूलू रामुलु और अन्य, 2001 (4) आरसीआर (सिविल) 267: (2001) 7 एससीसी 71)।

(जोर दिया गया)

एन. सुरेश नाथन के मामले *(*उपरोक्त) ***और कई अन्य फैसलों में* फैसले का उल्लेख करते हुए**, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि प्रशासनिक व्याख्या अक्सर किसी विशेष नियम या कार्यकारी निर्देश की व्याख्या करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है, और इसे तब तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि, निश्चित रूप से, यह नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यदि हम श्री आत्मा राम द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि जहां तक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का संबंध है, नियम 13.14 (2) में कोई लागू नहीं है, तो ऐसा कोई अन्य वैधानिक प्रावधान नहीं है जो शून्य को भर दे। इसके विपरीत, दो और वैधानिक प्रावधान अर्थात नियम 13.5 (4) और 13.15 को भी लागू किया जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप, किसी भी उप-निरीक्षक को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा। हम कानून के सिद्धांतों से निर्देशित होते हैं जैसा कि ***न्यायमूर्ति आर. ए. मेहता (सेवानिवृत्त) और रमेश गेली* के मामले में उपरोक्त निर्णयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और यहां तक कि *रोहिताश कुमार के मामले में भी श्री आत्मा राम द्वारा भरोसा किया गया है कि ऐसे परिदृश्य में, नियम 13.1 की तुलना में नियम 13.14 (2) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य है। नियमों की धारा 13.15 और 13.16 ताकि उक्त प्रावधान को अन्य प्रावधानों को निरर्थक बनाने के बजाय प्रक्रियात्मक और प्रभावी बनाया जा सके। नियमों की योजना और उपर्युक्त नियमों की अन्तरक्रियाशीलता की गहन जांच से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि नियम 13.14(2) के तहत निर्धारित मानदंड ही निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने के लिए नियमों में प्रदान किए गए एकमात्र मानदंड हैं, इसके अलावा कोई अन्य वैधानिक प्रावधान नहीं है जो उप निरीक्षक के पद से निरीक्षक के पद पर आगे की पदोन्नति को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार, मुद्दा संख्या 1 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी-राज्य के पक्ष में यह घोषणा करके तय किया जाता है कि नियम 13.14 (2) इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए लागू होगा।***

(29) जहां तक श्री आत्मा राम के सहायक निवेदन का संबंध है कि 'मार्क ए' पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रशासनिक निर्देश को जारी करने के लिए सक्षम नहीं हैं, 'मार्क ए' पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि ये वर्ष 1984 से 2019 तक हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस

महानिदेशक द्वारा जारी किए गए पत्र हैं, जिनमें गैर-राजपत्रित के रूप में आठ साल की सेवा करने वाले उप निरीक्षकों के संबंध में सिफारिशें मांगी गई हैं। अधिकारी, जिसमें से 5 वर्ष पदोन्नति सूची 'एफ' में प्रवेश के लिए उनके नामों पर विचार करने के लिए उप-निरीक्षक के रूप में हैं। इस चर्चा से जो तथ्य उभरकर सामने आता है वह यह है कि पदोन्नति किसी प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर या लंबे समय से स्थापित प्रथा का पालन करके नहीं की गई है, बल्कि निरीक्षक के पद पर सभी पदोन्नति नियम 13.14 (2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार की गई है, जिसका राज्य द्वारा लगातार पालन किया गया है। निर्बाध रूप से और समान रूप से। वास्तव में, उक्त पत्रों ने हमेशा सभी संबंधितों को नोटिस के रूप में कार्य किया है कि पदोन्नति के मानदंड क्या होंगे। इसलिए, इस तर्क को पूरी तरह से गलत समझा जा रहा है। इस संबंध में उल्लिखित निर्णयों के आदेश भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे।

<u>मुद्दा संख्या 2:</u>

(30) जहां तक नियम 13.14(2) के प्रावधानों के कार्यान्वयन का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के मामले में यह मामला नहीं है कि उनके साथ किसी प्रकार का विभेदक या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार किया गया है। पैरा 12 में पुन: प्रस्तुत चार्ट में दिए गए विवरण से पता चलता है कि उन्हें भी उक्त नियम के तहत प्रदान किए गए ऊपरी अधीनस्थों के रूप में आठ साल की सेवा पूरी करने पर वर्ष 2011 में निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। वास्तव में, यह ऊपरी अधीनस्थ के पिछले रैंकों में 3 साल के अनुभव की रियायत है (आठ वर्षों में से, उप निरीक्षक के रूप में पांच साल का अनुभव अनिवार्य है) जिसने याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए काम किया है। श्री आत्मा राम ने तर्क दिया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, कि उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के बाद सहायक उप निरीक्षकों के अनुभव की गिनती संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा क्योंकि सभी उप निरीक्षक एक वर्ग का गठन करते हैं और भर्ती के स्रोत यानी सीधी भर्ती या पदोन्नति के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(31) अपने अतिरिक्त उत्तर और दिनांक 10.07.2015 के हलफनामे में, राज्य ने निरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के लिए ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ साल का अनुभव प्रदान करने के औचित्य को स्पष्ट करने की मांग की है। उपरोक्त हलफनामे का पैरा 6 नीचे दिया गया है:

> **"6.** एक अराजपत्रित अधिकारी को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है यदि उसने **<u>उप निरीक्षक के रूप में 5 साल सहित अराजपत्रित अधिकारी के रूप में कुल 8 साल की सेवा पूरी कर ली है और वह पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए पूरी तरह से कुशल और सक्षम है।</u>**एक प्रत्यक्ष भर्ती उप-निरीक्षक तीन साल के लिए प्रशिक्षण में है और यदि

याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो वे अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2 साल की सेवा के बाद निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए परिपक्वता, जांच कौशल, प्रबंधन कौशल, ज्ञान आदि से पात्र हो जाएंगे, लेकिन वे शायद ही किसी पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए पूरी तरह से कुशल और सक्षम होंगे, जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। पदोन्नत गैर राजपत्रित अधिकारियों को आमतौर पर लगभग 15 साल की सेवा के बाद इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। यह नियम ठोस सिद्धांतों पर आधारित है।

(32) नियम 13.14 (2) में ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ साल का अनुभव निर्धारित किया गया है, जिसमें से पांच साल उप निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं करता है कि ऊपरी अधीनस्थ के रूप में शेष 3 वर्ष की सेवा केवल पिछले रैंकों में होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उप निरीक्षक के पद पर अर्जित उक्त अनुभव निरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के लिए समान रूप से मान्य है। इस प्रकार, वर्तमान भर्ती के स्रोत के आधार पर भेदभाव का मामला नहीं है जैसा कि श्री आत्मा राम द्वारा जोरदार तर्क दिया गया है। नियम 13.1 में प्रावधान है कि एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ग्रेड से दूसरे रैंक में एक ही रैंक पर पदोन्नति वरिष्ठता और दक्षता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी और ईमानदारी चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे।

(33) नियमों की पूरी योजना ऐसी है कि यह दक्षता और क्षमता पर भारी प्रीमियम डालती है। चाहे वह कार्यवाहक प्रभार हो या किसी मूल रैंक में पदोन्नति, उद्देश्य सभी पुरुषों को **"स्वतंत्र आरोपों में यथासंभव पूरी तरह से"** परीक्षण करना है (नियम 13.10, 13.12 और 13.16 (2))। नियम 13.12 जो उप-निरीक्षक के पद में अस्थायी रिक्तियों को भरने की विधि निर्धारित करता है, पर्यवेक्षण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि **"इस नियम की व्याख्या करते समय उन दोषों के बीच भेदभाव दिखाया जाएगा जो अनुभव और आगे के प्रशिक्षण द्वारा उन्मूलन करने में सक्षम हैं, और जो निश्चित अक्षमता और चरित्र के दोष को इंगित करते हैं"।**

इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुभव दक्षता का एक प्रमुख तत्व है, खासकर पुलिस बल जैसे अनुशासित बलों में। राज्य के इस संप्रभु कार्य के निर्वहन के लिए विभिन्न क्षमताओं, प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है, जो निश्चित रूप से समय की अवधि में हासिल की जाती है। विधायिका ने अपने विवेक से निरीक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए पद की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ वर्ष का अनुभव निर्धारित किया है और इसे न्यायालय द्वारा अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

(34) नियम 13.14(2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऊपरी अधीनस्थ के रूप में आठ वर्ष का अनुभव रखने के अलावा, एक उप-निरीक्षक को चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब ***वह प्रथम श्रेणी महत्व के पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालने के लिए पूरी तरह से कुशल और सक्षम हो।*** राज्य द्वारा अपने पूर्वोक्त हलफनामे में यह बहुत जोरदार ढंग से कहा गया है कि एक पुलिस स्टेशन के स्वतंत्र प्रभार को धारण करने के लिए अनुभव, परिपक्वता, जांच कौशल, प्रबंधन कौशल, ज्ञान आदि की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण (तीन साल) पूरा करने के बाद दो साल की सेवा वाला व्यक्ति स्वतंत्र प्रभार धारण करने के लिए शायद ही पूरी तरह से कुशल और सक्षम होगा। जाहिर है, जोर अनुभव पर है।

(35) यद्यपि इस मामले में, नियमों में भर्ती के स्त्रोत के आधार पर या वास्तव में उच्चतर योग्यता के आधार पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तों का प्रावधान नहीं है, पदोन्नत उप निरीक्षकों को पिछली रैंकों में ऊपरी अधीनस्थों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के कारण सीधी भर्ती पर कुछ बढ़त प्राप्त है। हालांकि, नियमों की पूरी योजना और बार में संबोधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इसे मनमाना नहीं ठहराया जा सकता है। कानून सूक्ष्म भेदों के आधार पर लघु-वर्गीकरण से घृणा करता है, फिर भी, यह प्रशासनिक दक्षता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा या अनुभव के आधार पर वर्गीकरण या किसी भी अधिमान्य उपचार को मान्यता देता है। **उत्तराखंड राज्य** बनाम **स. के. सिंह *और अन्य*** [24] के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करके हमें लाभ होगा, जहां चुनौती में आए हुए नियमों में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले जूनियर इंजीनियरों के लिए तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद त्वरित पदोन्नति का कोटा प्रदान किया गया है, जबकि सामान्य पदोन्नति के तहत दस साल की सेवा की आवश्यकता है। डिप्लोमाधारक जेई की शिकायत यह थी कि इसके परिणामस्वरूप उनके कुछ जूनियर, जिनके पास डिग्री थी, को पहले पदोन्नत किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा धारकों के पक्ष में निर्णय देते हुए फैसला सुनाया कि यदि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों दोनों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो प्रत्येक के लिए पदोन्नति के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित करके और डिप्लोमा-धारकों पर डिग्री-धारकों को अधिमान्य उपचार देकर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया न्यायालय राज्य ***में न्यायिक निर्णयों की एक पंक्ति का पालन करके जम्मू और कश्मीर*** बनाम ***त्रिलोकी नाथ खोसा***[25]***, पी. मुरुगेसन और अन्य*** बनाम ***तमिलनाडु राज्य और अन्य***[26],

---

[24] (2019)10 SCC 49
[25] (1974) 1 SCC 19
[26] (1993) 2 SCC 340

रूप चंद अदलखा और अन्य बनाम ***दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य***[27]***, और एम. रतिनास्वामी और अन्य*** बनाम ***तमिलनाडु राज्य और अन्य***[28], और माननीय न्यायालय ने दोहराया कि यदि नियम बनाने वाला प्राधिकारी पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम है, तो वह उच्च योग्यता के आधार पर आंशिक प्रतिबंध लगाने के लिए भी सक्षम है/ निर्णय का अंतिम पैरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> "26. उपर्युक्त न्यायिक विचारों के स्पेक्ट्रम से हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यद्यपि समानता संविधान के प्रावधानों का आधार है, सेवा न्यायशास्त्र में, वर्गीकरण एक आवश्यकता का विषय है और न्यायिक घोषणाओं ने वर्गीकरण के सिद्धांत के साथ समानता के सिद्धांत को संतुलित करने की मांग की है, जो वर्गीकरण करने के लिए सांठगांठ पर निर्भर है। **उच्च शैक्षिक योग्यता को बार-बार एक ऐसे पहलू के रूप में जोर दिया गया है जो विशेष पदोन्नति, पहले पदोन्नति या उस मामले के लिए, जैसा कि इस मामले में, एक त्वरित पदोन्नति दे सकता है। योग्यता की एक उच्च डिग्री आंतरिक रूप से कुछ कौशल लाएगी, हालांकि निस्संदेह, यह उपयोगी होना चाहिए और किए जा रहे काम के साथ संबंध होना चाहिए। इस सांठगांठ की जांच किसे करनी चाहिए, यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं:** एम रतिनास्वामी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। (उपरोक्त)".
>
> (आपूर्ति पर जोर)

(36) यह निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए उप निरीक्षकों के साथ-साथ पदोन्नत उप निरीक्षक दोनों एक वर्ग का गठन करते हैं। वे दोनों एक ही पदनाम से जाने जाते हैं, वेतन के समान पैमाने होते हैं। वे समान कार्यों का निर्वहन करते हैं और उनके द्वारा आयोजित पद विनिमेय हैं। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दोनों समूहों को अलग रखा गया है। दोनों समूहों के लिए, जो एक एकल संवर्ग का गठन करते हैं, पदोन्नति का एक ही नियम लागू होता है और सभी उप निरीक्षकों को नियम 13.14(2) के तहत निर्धारित समान पात्रता मानदंडों के अनुसार पदोन्नत किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यह केवल इतना है कि सीधे भर्ती किए गए उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति और कार्यक्षमता से पहले ऊपरी अधीनस्थ (निचले रैंक में) के रूप में किसी भी पिछले अनुभव के न होने के कारण उन्हें निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, जबकि कनिष्ठ पदोन्नत उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष के अनुभव सहित आवश्यक आठ वर्ष के अनुभव के कारण एक निश्चित समय पर पहले पदोन्नत हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक वरिष्ठ सीधी भर्ती उप-निरीक्षक को पदोन्नत उप-निरीक्षक की तुलना में नुकसान होता है, जिसके पास कुल आठ

[27] Supp (1) SCC 116
[28] (2009) 5 SCC 625

वर्षों के निर्धारित अनुभव में से निचले रैंक में तीन साल का अनुभव होता है। इसलिए, अधिक से अधिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निरीक्षक के पदोन्नति पद की रिक्ति को भरने के समय के संबंध में पदोन्नत उप-निरीक्षक की तुलना में सीधी भर्ती की पदोन्नति की संभावना कम हो सकती है।

(37) हालांकि, यह अच्छी तरह से तय है कि हालांकि पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, केवल पदोन्नति की संभावना नहीं है। एक नियम जो केवल पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित करता है, उसे सेवा की स्थिति को बदलने के रूप में नहीं माना जा सकता है। ***एयर कमोडोर नवीन जैन*** बनाम ***भारत संघ और अन्य*** [29] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय में इस सिद्धांत को दोहराया गया है, जिसमें एयर वाइस मार्शल के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 20-02-2008 की पदोन्नति नीति के खंड 17 *को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह योग्यता-सह-वरिष्ठता के* आधार पर पदोन्नति से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। पदोन्नति के अधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है, उनके लॉर्डशिप ने कहा कि अपीलकर्ता की शिकायत पदोन्नति की खोई हुई संभावनाओं के संबंध में है क्योंकि उसने रिक्ति उत्पन्न होने से पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी, और अपील खारिज कर दी गई थी:

> 13. मैसूर राज्य और आंध्र प्रदेश में। जी.बी. पुरोहित और अन्य, इस न्यायालय ने माना कि पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार, सेवा की एक शर्त है, लेकिन केवल पदोन्नति की संभावना नहीं है। वह नियम जो केवल पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित करता है, उसे सेवा की अलग-अलग स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है। बाद के फैसले में रामचंद्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में उक्त फैसले को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:
>
> "15..... डिप्टी कलेक्टर के पदों पर डिवीजनवार पदोन्नति करने और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक ऐसी पदोन्नति को सीमित करने के परिणामस्वरूप जो कुछ भी हुआ, वह याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध पदोन्नति की संभावनाओं को कम करना था। **मैसूर राज्य बनाम जीबी पुरोहित (1965 का सीए संख्या 2281, 25 जनवरी, 1967 को तय किया गया) मामले में इस न्यायालय के फैसले से अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि हालांकि पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, लेकिन केवल पदोन्नति की संभावना नहीं है। एक नियम जो केवल पदोन्नति की**

[29] 2019 (10) SCC 34

संभावनाओं को प्रभावित करता है, उसे सेवा की स्थिति को बदलने के रूप में नहीं माना जा सकता है। पुरोहित के मामले में स्वच्छता निरीक्षकों की जिलावार वरिष्ठता को राज्यवार वरिष्ठता में बदल दिया गया था, और इस बदलाव के परिणामस्वरूप उत्तरदाता वरिष्ठता में नीचे चले गए और बहुत जूनियर हो गए। यह आग्रह किया गया था कि इससे उनकी पदोन्नति की संभावना प्रभावित हुई, जिन्हें धारा 115, उप-धारा (7) के परंतुक के तहत संरक्षित किया गया था। इस तर्क को नकारात्मक कर दिया गया और वांचू, जे (जैसा कि वह तब थे) ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा: "प्रतिवादियों की ओर से यह कहा जाता है कि चूंकि उनकी पदोन्नति की संभावना प्रभावित हुई है, इसलिए उनकी सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदल दिया गया है। हम इस तर्क में कोई बल नहीं देखते हैं क्योंकि पदोन्नति की संभावना नहीं है।
सेवा की शर्तें.....

चौदह) द्वारका प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में इस तर्क की जांच की गई कि पदोन्नति के अवसर फीडर कैडर की ताकत के अनुपात में प्रदान किए जाने चाहिए। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"16. विभाग की संरचना और पैटर्न के आधार पर फीडर संवर्गों में पदों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में पदोन्नति के लिए कोटा या विभिन्न रास्ते और सीढ़ी का निर्धारण नियोक्ता का विशेषाधिकार है, जो मुख्य रूप से नीति-निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। **किसी विशेष पद के लिए एक विशेष कोटा तय करने में प्रासंगिक विचार विभिन्न हैं जैसे फीडर कोटा में कैडर की संख्या, फीडर पद में धारकों की उपयुक्तता, उनके कर्तव्यों की प्रकृति, अनुभव और फीडर कैडर में पदों के धारकों के लिए उपलब्ध पदोन्नति के चैनल। उन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त उम्मीदवारों के साथ पदोन्नति पर पद संभालने के लिए पदोन्नति प्राधिकारी की आवश्यकता है। इस प्रकार, फीडर संवर्गों में पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा के निर्धारण के लिए विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ का उल्लेख चित्रण के लिए किया गया है। फीडर कैडर में किसी विशेष पद की केवल कैडर संख्या फीडर श्रेणियों में पदों के विभिन्न धारकों द्वारा पदोन्नति की संभावनाओं में समानता का दावा करने का एकमात्र मानदंड या आधार नहीं हो सकती है।**

15) ए. सत्यनारायण और अन्य बनाम एस. पुरुषोत्तम और अन्य, इस न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति के लिए कोटा तय करने की राज्य की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत विचार की गई समानता की

संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"....25. ऐसा कहते समय, हम कानूनी सिद्धांत से बेखबर नहीं हैं कि किसी को भी पदोन्नत होने का अधिकार नहीं है; उसका अधिकार उस पर विचार किए जाने के अधिकार तक ही सीमित है।

26. **इसी तरह, किसी कर्मचारी की पदोन्नति की संभावना कम होने के परिणामस्वरूप नीतिगत निर्णय लेने की राज्य की शक्ति न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकती है क्योंकि इससे किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है**।

(जोर दिया गया)

(38) संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा विचार किए गए समान अवसर में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले समान अधिकार की परिकल्पना की गई है। यदि किसी सांविधिक प्रावधान के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित पात्रता प्राप्त करने पर, पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पदोन्नति के लिए एक निश्चित समय पर कुछ कर्मचारियों के नुकसान के लिए काम कर सकता है। सेवा न्यायशास्त्र में यह सर्वविदित तथ्य है कि सांविधिक प्रावधानों/अनुदेशों के अलावा, पदोन्नति सेवा की अनियमितताओं पर निर्भर करती है, जो रिक्तियों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकताओं और अन्य उपस्थित परिस्थितियों जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। इसके अलावा, प्रशासनिक दक्षता की चिंताओं को दूर करने के लिए, *वरिष्ठता को* 'उपयुक्तता और योग्यता' के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। इसलिए, यह पात्रता प्राप्त करने पर पदोन्नति के लिए विचार का अधिकार है, न कि पदोन्नति की समान संभावना, जिसे संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(39) हम पहले ही कह चुके हैं कि नियम 13.14(2) में निर्धारित पात्रता मानदंड सीधी भर्ती या पदोन्नत उप निरीक्षक के बीच अंतर नहीं करता है। कोई भी उप निरीक्षक, जिसके पास अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन आठ वर्ष का अनुभव है, को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। अपर अधीनस्थ के रूप में आठ वर्ष का अनुभव प्रदान करने का औचित्य भी हमारे समक्ष स्थापित किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को निजी उत्तरदाताओं संख्या 4-32 के समान नियम 13.14 (2) में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए नियम 13.14 (2) में निर्धारित पात्रता मानदंड अनुच्छेद 14 के संदर्भ में भेदभावपूर्ण नहीं है या अनुच्छेद 16 के

संदर्भ में समान अवसर की कमी से इनकार करता है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा संख्या 2 भी तय किया जाता है।

(40) निर्णय से अलग होने से पहले, हम निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम को ठीक से परिभाषित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए प्रतिवादी राज्य के उदासीन दृष्टिकोण पर अपनी पीड़ा को देखने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण वर्तमान मुकदमा उत्पन्न हुआ है। हम आशा करते हैं कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य अब आवश्यकता के प्रति जागरूक होगा और नियम को उचित रूप से ढालने के लिए कार्य करेगा ताकि भ्रम को दूर किया जा सके और भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

(41) ऊपर दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 से 32 के लागू पदोन्नति आदेशों को भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान **याचिका** गुण-दोष से रहित है और इसलिए **इसे खारिज किया जाता है**। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

चूंकि मुख्य मामले में निर्णय हो चुका है, इसलिए लंबित विविध आवेदनों में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और उसी का निपटान किया जाता है।

डॉ. सुमति जुंड

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

करमबीर सिंह,
(अनुवादक)